न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – सुमति देवी ....बगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष – राम किशोर गोप ..... बगैरह।

सं0 43/2023

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 10/2023 दिनांक 25/05/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष (1)** सुमति देवी, पति स्व0 मुनु गोप उर्फ दशरथ गोप, ग्राम कराकेल, पोस्ट कराकेल (2) जानकी देवी पति श्री जनकदेव गोप, ग्राम +पो0 पतराचौली, थाना नगड़ी जिला रॉची **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) राम किशोर गोप, पिता स्व0 मुनु गोप उर्फ दशरथ गोप, ग्राम कराकेल, पोस्ट पोकला (2) निरंजन साहु, पिता स्व0 दुर्बल साहु ग्राम कोडेकेरा, (3) प्रेमशीला देवी, पति श्री देवेन्द्र साहु, ग्राम कामडारा (4) ईन्द्रावती देवी, पति श्री भीष्मनारायण कुमार (5) श्री भीष्मनारायण कुमार पिता श्री दुगेन्द्र गोप, ग्राम कुली, (6) संजय सिंह पिता देवनारायण सिहं ग्राम तुरबुल (7) दिनेश साहु पिता श्री देवन्द्र साहु ग्राम रैयकेरा सभी थाना कामडारा जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर विवाद है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि–व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 3/1/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.03 11:21:12 +05:30
Location: 192.168.1.3